



राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण 2022-23



राजस्थान सरकार
पर्यावरण एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर



राजस्थान सरकार

**पर्यावरण एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग**

**पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
जयपुर**

प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण 2022—23

1. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कार्य एवं उद्देश्य —

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गये हैं

(क) पर्यावरण और पारिस्थितिकी से सम्बन्धित मामले और निम्नलिखित मामलों के लिए प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करना।

- पारिस्थितिकी सन्तुलन का परिरक्षण।
- पर्यावरण सम्बन्धित मामलों पर अनुसंधान और अध्ययन।
- पर्यावरण से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सम्बन्धित क्रियाकलाप।
- प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से पर्यावरण चेतना जागृत करना।

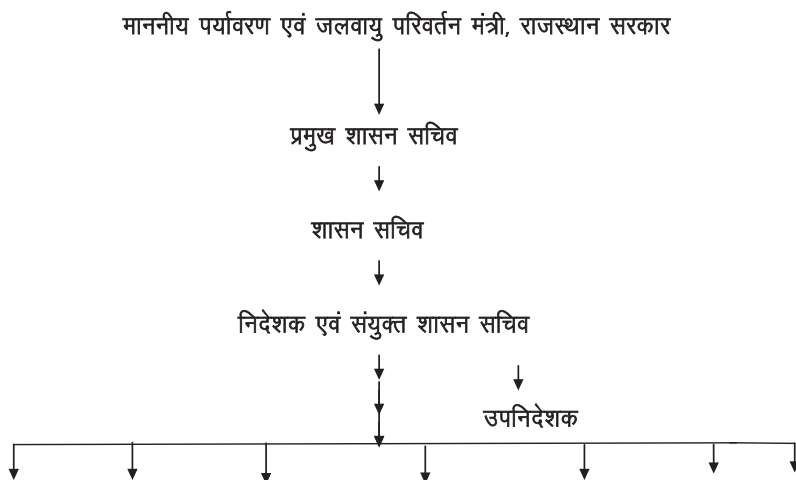
(ख) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं राजस्थान जैव विविधता मंडल से सम्बन्धित समस्त मामलों का निवारण और नियंत्रण।

(ग) कार्मिक, सामान्य प्रशासन, वित्त और वन विभाग को सौंपे गए मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्त मामले।

2. संगठनात्मक रचना —

- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का गठन वर्ष 1983 में किया गया था।
- वर्तमान में प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं।
- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में शासन सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, उप निदेशक, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद सृजित हैं। विभाग का प्रशासनिक ढांचा एवं सृजित पद अग्रानुसार हैं।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का संगठनात्मक ढांचा



पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय में स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	पद पर कार्यरत	रिक्त पद
1.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	1	0	1
2.	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता	1	0	1
3.	उप निदेशक (पर्या)	1	0	1
4.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0
5.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
6.	प्रोग्रामर	1	1	0
7.	सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड- II)	1	1	0
8.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	0
9.	अति० प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
10.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
11.	निजी सहायक	2	1	1

12.	वरिष्ठ सहायक	2	0	2
13.	सूचना सहायक	2	2	0
14.	कनिष्ठ सहायक	2	2	0
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	0	3
योग		21	10	11

वर्ष 2019-20 के दौरान अधिसूचना दिनांक 04.09.2019 के द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय का गठन किया गया है। निदेशालय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विभिन्न अधिनियम/नियम को लागू करने एवं पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों में सहयोग करेगा।

3. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नीतिगत निर्णयों पर क्रियान्वयन की कार्यवाही निम्नानुसार की गई—

3.1 राज्य पर्यावरण नीति 2010 के क्रियान्वयन का नियमित प्रबोधन :

राज्य पर्यावरण नीति 2010 के कार्यकारी बिन्दुओं से सम्बन्धित क्रियान्वित रिपोर्ट विभिन्न विभागों से समय-समय पर मंगवाई जाकर इसका संकलन कर प्रबोधन किया जा रहा है।

3.2 प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध :

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 जारी कर दिनांक 01 अगस्त 2010 से राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा राज्य को “प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र” घोषित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए गये। अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 में संशोधन किया गया है जिसके द्वारा “Compostable plastic” के कैरी बैग्स को अनुमति दी गई है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.08.2021 को 19 चिन्हित Single Use Plastic पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मुख्य सचिव को अध्यक्षता में Special Task Force गठित की गई है तथा एक कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है।

3.3 फसल कटाई के बाद बचे हुए भूसे को जलाने पर प्रतिबन्ध :

राज्य सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.08.2015 से राज्य में फसल कटाई के बाद उसके बचे हुए भूसे को जलाने पर समस्त राज्य में प्रतिबन्धित कर दिया गया है। भूसे को जलाने की घटना पर कृषि विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है।

3.4 राज्य में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के सतत् विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति आवेदन पत्रों के **online submission** तथा **disposal** की सुविधा को और बेहतर बनाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अपने एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया गया। सम्मति के आवेदन पत्रों को ऑनलाईन जमा (ई-मित्र कियोस्क द्वारा) कराने की सुविधा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के एम.आई.एस द्वारा दिनांक 19.11.2014 से प्रारम्भ की गई थी। आवेदनो का निस्तारण त्वरित गति से किया जा रहा है।

3.5 जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2016 तथा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अन्तर्गत ऑथोराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाईन जमा (ई-मित्र कियोस्क द्वारा) कराने की सुविधा राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 20.08.2015 से प्रारम्भ की जा चुकी है।

3.6 राज्य मण्डल द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर आवेदन पत्र एवं शुल्क विवरण का सरलीकरण तथा वैधता अवधि में विस्तार किया गया। साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी हरी श्रेणी (**Green Category**) में वर्गीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों जिनका कुल पूंजी निवेश 5 करोड या 5 करोड से कम है, उनको सम्मति आवेदन पत्र के जमा कराने की रसीद को राज्य मण्डल द्वारा सम्मति माना जायेगा। इन उद्योगों को यह आवेदन पत्र एक बार ही जमा कराना होगा एवं हरी श्रेणी के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के सम्मति नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

यह सम्मति आवेदन दिनांक 01/12/2015 से ऑनलाईन जमा कराये जाने की सुविधा एवं पावती पत्र को उद्योग इकाई के पंजीकृत ई मेल आईडी पर मेल द्वारा प्रेषित करने

की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है, जिसका प्रिंट आउट कहीं से भी लिया जा सकता है। ऑनलाईन पावती पत्र पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त उद्यमियों की सुविधा, प्रक्रिया के सरलीकरण एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में राज्य मण्डल के मुख्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न सम्मति/प्राधिकार एवं पंजीयन जारी करने की शक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई। यथा 50 के.एल.डी. से कम उच्छिष्ट निस्त्राव करने वाली टैक्सटाइल इकाइयों के प्रकरणों का निस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है।

3.7 मोबाइल 'ऐप' राज वायु:—

राज्य मण्डल द्वारा "राज वायु" नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाइल 'ऐप' 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। इस मोबाइल 'ऐप' पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक की विभिन्न रंगों के आरेख के रूप में जानकारी प्रदर्शित की जाती है। यह मोबाइल 'ऐप' यूनिसेफ, राजस्थान, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।

3.8 आवा-कजावा तकनीक पर आधारित परम्परागत भट्टों हेतु मार्ग-दर्शिका:—

राज्य मण्डल द्वारा कुम्हारों द्वारा परम्परागत तकनीक पर आधारित आवा-कजावा पद्धति के माध्यम से छोटे पैमाने पर मिट्टी के बर्तन, केलु व ईंटों के निर्माण हेतु दिनांक 12.07.2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई।

3.9 सी.ई.टी.पी. हेतु मार्गदर्शिका:—

राज्य में स्थापित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों के प्रभावी प्रबंधन हेतु राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 14.12.2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई। इस मार्गदर्शिका द्वारा पूर्व में स्थापित एवं भविष्य में स्थापित होने वाले संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों, इन्हें संचालित करने वाली एजेन्सी/ट्रस्ट तथा सदस्य इकाइयों हेतु पृथक-पृथक दिशा-निर्देश अधिसूचित किये गये हैं।

3.10 सम्मति वैधता अवधि में बढ़ोतरी:—

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2016 के द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर सम्मति वैधता अवधि में विस्तार करते हुए लाल श्रेणी के उद्योगों को 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष एवं हरी श्रेणी के

उद्योगों को 15 वर्ष के लिए सम्मति जारी करने का प्रावधान किया गया है उक्त श्रणियों में पूर्व में सम्मति की वैधता क्रमशः 3, 5 एवं 10 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त कम प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत कर इनकी सम्मति लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है।

4. वर्ष 2022-23 की उपलब्धियां

प्रचार-प्रसार हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य:-

(अ) पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित है :-

आयोजना मद

3435 — पारिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

03 — पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भूत भवन

102 — पर्यावरणीय योजना और समन्वय

01 — पर्यावरण सुधार

11 — विज्ञापन, विक्रय एवं प्रसार राशि रु. — 53.50 लाख

दिसंबर , 2022 तक व्यय राशि रु.

— 53.39 लाख

उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत तीन अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों यथा पृथ्वी दिवस: 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस: 5 जून एवं ओजोन परत संरक्षण दिवस: 16 सितम्बर के अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता संबंधी संदेश प्रकाशित कराये गये।

मकर संक्रान्ति के अवसर पर पंतग उड़ाने हेतु चाइनीज मांझे, धातु से निर्मित धागे, कांच एवं लोहे के पाउडर से निर्मित मांझे का उपयोग न करने हेतु जनता में जागरूकता लाने के लिए समाचार पत्रों में दो दिवस तक लगातार संदेश दिया गया है।

5. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख दिवसों पर पर्यावरणीय कार्यक्रम आयोजित कराए गए हैं :

पृथ्वी दिवस

22 अप्रैल, 2022

विश्व पर्यावरण दिवस

5 जून, 2022

ओजोन परत संरक्षण दिवस

16 सितम्बर, 2022

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रत्येक दिवस के आयोजन मीडिया के माध्यम से जन जागृति हेतु कार्यक्रम कराये गये।

6. राज्य स्तरीय राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार :

राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को **“राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार”** प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उक्त पुरस्कार में राशि रु 5 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी-संगठन/संस्थान को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु, राशि रुपये 3.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को-पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु एवं राशि रुपये 2 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी-व्यक्ति विशेष को जिसने पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है को प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

7. जिला पर्यावरण समितियां :

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थायी जिला पर्यावरण समितियां गठित की गई हैं।

जिला पर्यावरण समितियों के द्वारा जिले की पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श कर निदान किया जाता है, समितियों के माध्यम से विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितम्बर को पर्यावरण चेतना कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

8. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल :

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा जल की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 सितम्बर 1975 को किया गया था। वर्तमान में पर्यावरण संबंधी अधिनियमों/नियमों को लागू करने का कार्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया जाता है। मंडल में अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं सदस्य सचिव के पद पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रशासनिक नियंत्रण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का पुर्नगठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2016 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की विभिन्न उप धाराओं के अन्तर्गत तीन वर्ष तक के लिए किया गया है।

9. राजस्थान राज्य जैव-विविधता बोर्ड :

राजस्थान राज्य जैव-विविधता बोर्ड का गठन जैव-विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना प. 4 (8)1/2005/पार्ट-1 जयपुर दिनांक 14.09.2010 द्वारा किया गया था। यह बोर्ड राज्य की जैव विविधता के संरक्षण एवं जैव-विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों की नियामक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

प्रदेश की जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश एवं संभागीय मुख्यालयों पर आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही पुस्तक, पोस्टर, स्टीकर्स एवं पोस्टकार्ड इत्यादि सहायक प्रचार सामग्री के माध्यम से युवा पीढ़ी को जैव विविधता के महत्व एवं इसके संरक्षण से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 22.05.2020 को अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का समारोह जिला मुख्यालयों एवं जयपुर में मनाया गया।

दिसम्बर, 2017 तक जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं/नियमों का क्रियान्वयन:

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/नियमों आदि की पालना विभिन्न विभागों, संस्थाओं, मंडलों के माध्यम से करवाई जाती है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नांकित अधिनियमों एवं नियमों की पालना संबंधी कार्यवाही करवाई जाती है :-

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं नियम, 1986
2. जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं नियम, 1975
3. वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं नियम, 1983
4. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिनियम, 2006
5. अरावली अधिसूचना, 1992, यथा संशोधित
6. पलाई ऐश अधिसूचना, 1999, यथा संशोधित
7. वेटलैंड अधिसूचना, 2017
8. जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010
9. प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
10. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
11. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016

12. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
13. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016
14. ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 1999 को अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को अलवर जिले में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के तहत पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति को परीक्षण एवं अभिज्ञा हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

10. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान :

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई, 2008 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority) राजस्थान का गठन किया गया। उक्त प्राधिकरण/समिति का कार्यकाल दिनांक 29.12.2017 को पूर्ण होने पर नवीन प्राधिकरण एवं समिति का पुनर्गठन दिनांक 12.09.2018 एवं 12.10.2021 को किया जा चुका है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12.10.2021 से दो State Environment Appraisal Committee गठित की गई, जो Category B1 एवं B2 के प्रोजेक्ट्स का निष्पादन करती हैं।

11. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की वेबसाइट और एम.आई.एस सॉफ्टवेयर:

- सम्मति व ऑथोराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने व ट्रेकिंग की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर चालू किया जा चुका है।
- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का नया पोर्टल माह दिसम्बर 2015 से चालू हो गया है। जिसमें पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जैव विविधता बोर्ड एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाइट एक पोर्टल में उपलब्ध है।

12. अत्याधिक प्रदूषक उद्योगों के अन्तिम विकास एवं चिमनी उत्सर्जन पर ऑन लाईन मोनिटरिंग की व्यवस्था:-

राज्य में चिह्नित अत्याधिक प्रदूषक उद्योगों के उपचारित वेस्ट वाटर एवं चिमनी से उत्सर्जित गैसों में प्रदूषकों की मात्रा की निगरानी हेतु ऑन लाईन मोनिटरिंग सिस्टम लगाने हेतु

अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 169 उद्योगों द्वारा ऑन लाईन मोनिटरिंग की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है।

13. क्लोथ वेण्डिंग मशीन:-

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा देश में पहली बार क्लोथ वेण्डिंग मशीन को विकसित किया गया है, इस मशीन में 5 रुपये का सिक्का डालने पर कपड़े के दो बैग प्राप्त हो जायेंगे। राज्य मण्डल के सहयोग से जयपुर, अजमेर एवं कोटा में ऐसी एक-एक मशीन परीक्षण के तौर पर स्थापित की जा रही है। इस पहल से पोलीथीन की थैलियों का विकल्प सुलभ होने से पोलीथीन की थैलियों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

14. आठ नये सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों की स्थापना:-

राज्य मण्डल द्वारा पूर्व में जयपुर एवं जोधपुर में सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये गये थे। तत्पश्चात गत वर्ष राज्य के 7 शहरों में (जयपुर में 2 एवं अजमेर, अलवर, भिवाडी, कोटा, पाली तथा उदयपुर में एक-एक स्थान पर) नये केन्द्रों की स्थापना की गई।

इन स्थानों पर वायु गुणवत्ता की जांच हेतु सल्फर डाई ऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x), विविक्त पदार्थ— PM_{10} एवं $\text{PM}_{2.5}$, ओजोन (O_3), कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO), अमोनिया (NH_3) एवं बेन्जीन (C_6H_6), के अतिरिक्त वायु मण्डल में वायु मण्डलीय दबाव, सापेक्षिक आर्द्रता, वायु गति, तापमान, सोलर रेडिएशन, वायु की दिशा, उर्ध्व वायु गति इत्यादि की सतत् जांच की जाती है एवं परिणामों को प्रबोधन केन्द्रों पर स्थापित सूचना पट्टिका पर सतत् प्रदर्शन भी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीयकृत सूचना पट्टिका जयपुर में रामबाग सर्किल पर भी स्थापित की गई है। इस पट्टिका पर उपरोक्त सभी स्थानों के वायु गुणवत्ता के परिणाम प्रदर्शित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परिणामों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को भी सतत् प्रेषित किया जाता है तथा एयर क्वालिटी इण्डेक्स जारी की जाती है।

मण्डल द्वारा समस्त जिला मुख्यालय पर केन्द्रों की स्थापना की गई है। साथ ही दो मोबाईल वाहन भी उपकरणों से सुसज्जित करे गये जो जिलों में जाकर मापन कार्य करते हैं।

15. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 अनुसार

थर्मल पावर प्लांट्स के ऐश पोंडस में उपलब्ध उपयोग में नहीं लाई गई पलाई-ऐश को ईंट निर्माताओं को ईंट निर्माण के लिए पलाई-ऐश की आवश्यकता होने पर पलाई-ऐश कोई शुल्क

वसूले बगैर एवं बिना किसी व्यवधान के उपलब्ध कराने की व्यवस्था कायम करने के निर्देश जारी किए गए।

16. **पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2017** को वायु अधिनियम, 1981 एवं जल अधिनियम, 1974 के तहत अधिसूचनाएं जारी कर उद्योगों की स्थापना एवं उनको चलाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दी जाने वाली Consent to Establish एवं Consent to Operate के लिए देय फीस का पुनर्निर्धारण किया गया।
17. **माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वित्तीय वर्ष 2020–21** में पर्यावरण संरक्षण के लिये राज्य के प्रत्येक जिले की “जिला पर्यावरण योजना” तथा राज्य के लिए “राज्य पर्यावरण योजना” तैयार करी गई है।
18. **माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 बजट भाषण** में नई जलवायु परिवर्तन नीति लाने की घोषणा की गई। जिसकी अनुपालना में राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान तैयार करने हेतु आई.आई.टी. मुंबई के साथ अनुबंध किया गया है। सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एक्शन प्लान तैयार करने हेतु चाही गई सूचनाएं एकत्र कर आई.आई.टी. मुंबई के माध्यम से तैयार कर 5 जून 2022 को जारी की गई है।
19. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.11.2019 को आदेश जारी कर राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (स्टेट वेटलैण्ड ऑथोरिटी) का गठन आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधान अनुसार किया गया है। करीबन 50 चिन्हित आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

20. सांभर लेक मैनेजमेंट एजेन्सी

माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन “सांभर लेक मैनेजमेंट एजेन्सी” का गठन दिनांक 18.10.2021 को किया गया है। एजेन्सी को Rajasthan Society Act, 1958 के तहत पंजीयन कराया गया है। एजेन्सी का मुख्य उद्देश्य सांभर लेक का एकीकृत प्रबंधन है।

21. Elimination of Single Use Plastic

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई जिससे 1 जुलाई, 2022 से निम्न single use plastic वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भण्डारण, बेचने को प्रतिबंधित किया गया है।

(क) “प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टाइरिन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री”।

(ख) “प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोम से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी वी सी बैनर, स्ट्रीप”।

- उपरोक्त वस्तुओं का प्रतिबंध कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

22. उपरोक्त Single Use Plastic की वस्तुओं को हटाने के लिए भारत सरकार के निर्देश अनुसार 1 जुलाई 2021 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में स्पेशल टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा Elimination of Single Use Plastic का Action Plan पर्यावरण विभाग द्वारा बनाया गया है और MoEF & CC को भिजवा दिया गया है साथ ही Action Plan को सभी विभागों में लागू करने के लिए भिजवाया गया है।

- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा उद्योग विभाग को इन प्रतिबंधित प्लास्टिक आइटम के विकल्प खोजने का कहा गया है।

23. State Wetland Authority (SWA)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26 सितम्बर, 2017 से आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 की अनुपालना में बिंदु संख्या 5(1) के तहत राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन दिनांक 27.11.2019 को किया गया है। राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार हैं एवं उपाध्यक्ष मुख्य सचिव महोदय है।

- आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अनुसार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है—

1. राज्य की सभी आर्द्रभूमियों को सूचियों के अनुसार अधिसूचित करना।
2. समयबद्ध तरीके से आर्द्रभूमियों को सूचियों के अनुसार अधिसूचित करना एवं उनके संक्षिप्त दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना।
3. सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक डिजीटल सूची तैयार करना।
4. अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किये जाने वाले कार्यकलापों और उनके प्रभाव क्षेत्र की विस्तृत सूची विकसित करना।
5. प्राधिकरण द्वारा सभी जिलों में वेटलैण्ड रूल्स के तहत वेटलैण्ड्स का चिह्निकरण कर नोटिफिकेशन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं प्रबन्ध योजना तैयार करने को कहा गया है। ISRO द्वारा जारी वेटलैण्ड एटलस में 2.5 हैक्टेयर से बड़े वेटलैण्ड 12625 वेटलैण्ड को

प्राथमिकता दी जायेगी। दिनांक 02.02.2022 को वेटलैण्ड दिवस सभी जिलों में मनाया गया एवं विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गयी। ऑथोरिटी द्वारा 100 चिन्हित वेटलैण्ड को State Remote Sensing Application Centre Jodhpur के माध्यम से Digitised maps तैयार किये जा रहे हैं।

24. State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) एवं State Environment Appraisal Committee (SEAC)

भारत सरकार द्वारा EIA notification 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति देने के लिये SEIAA एवं SEAC का गठन किया गया है। वर्ष 2018 में गठित SEIAA/ SEAC का पुर्नगठन अधिसूचना दिनांक 12.10.2021 के द्वारा किया गया है। अभिवेदनों की संख्या को देखते हुए 2 SEAC का गठन किया गया है। SEIAA/SEAC द्वारा EIA Notification 2006 के प्रावधानों के अनुसार खनन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, उद्योग, अन्य निर्माण आदि के प्रस्तावों का परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाती है।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील संख्या 1359/2017 “टेची टागी तारा बनाम राजेन्द्र सिंह भण्डारी” में जारी आदेश के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव पद पर नियुक्ति हेतु नियमों को अधिसूचित कर तदनुसार नियुक्ति करने हेतु निर्देशित किया गया है।

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2021 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव पद पर नियुक्ति हेतु नियमों की अधिसूचना जारी की गई।
2. इस क्रम में उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में “सर्च कम सलेक्शन कमेटी” के गठन के आदेश दिनांक 13 अगस्त 2021 को जारी किये गये।
3. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये।
4. “सर्च कम सलेक्शन कमेटी” की बैठक का आयोजन कर उक्त पदों पर नियुक्ति की गई है।
5. प्रदूषण मण्डल में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन हेतु संशोधित अधिनियम तैयार कर स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है।

26. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु माननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार एक 'इंटिग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क' की स्थापना की जा रही है। जिसके लिए जमवारामगढ़ के डोलाई IA में 48 हे० भूमि आवंटन किया गया है तथा Zoning का कार्य किया जा रहा है। जो कि सत्र 2023 में पूर्ण कराया जायेगा।

- भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान की पांच वायु गुणवत्ता **Non Attainment cities** जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर में पुष्टि से चयनित फंड आवंटित किये गये हैं इसके कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक कार्य नीति तैयार कर उक्त शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा (MCR) में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु विभिन्न निर्देश जारी किये गये हैं। जिनकी अनुकम्पा में निर्धारित प्रारूप में मासिक रिपोर्ट तैयार कर आयोग को प्रेषित की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों एवं आयोग द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों के क्रम में 10 लाख पौधे MCR क्षेत्र में रोपित किये गये हैं।
- साथ ही मौजूदा वायु गुणवत्ता के आधार पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट ग्रेडेड रेस्पॉंस एक्शन प्लान का जिला प्रशासन स्तर पर कार्यान्वयन किया जा रहा है।

27. बजट वर्ष 2022-2023 :

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का वर्ष 2022-23 के लिए राज्य निधि (Other Than Scheme) मद में राशि रु 147.37 लाख तथा Scheme मद में राशि रु 930.30 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्षवार व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:-

वास्तविक व्यय

आयोजना व्यय (रूपये लाखों में)
(2018-19 से 2022-23 तक)

क्र.सं.	मदवार विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	Up to December 2023
1	वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते	31.04	61.51	70.48	63.75	39.35
2	विज्ञापन एवं प्रचार, प्रसार व्यय	32.57	35.82	48.69	47.39	38.39
3	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	राजस्थान जैव विविधता बोर्ड	169.00	130.98	61.00	94.00	70.00
5	राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन	4.97	21.35	25.99	16.26	26.39
7	विभागो द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय	0.00	0.00	2.21	71.42	12.25
8	वेटलैण्ड ऑथोरिटी	0.00	0.00	0.00	75.87	0.29
9	सांभर लेक मैनेजमेंट ऑथोरिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00
योग		674.58	249.58	208.37	368.69	529.67

आयोजना भिन्न व्यय (रूपये लाखों में)
(2018-19 से 2022-23 तक)

क्र.सं.	मदवार विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	Up to December 2023
1	प्रशासनिक व्यय	151.53	109.63	110.28	126.88	97.85
योग		151.53	109.63	110.28	126.88	97.85



पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ